न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :— 148 / 2024
निर्णय दिनांक :— 17.02.2025
पीठसीन अधिकारी :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. पूरणदास चेला प्रेमदास जाति दादूपंथी आयु 31 वर्ष निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला दूदू राज०

प्रार्थी

बनाम

1. बदरी पुत्र कजोड जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर
2. श्यामसुन्दर पुत्र रामफूल जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर
3. जगदीश पुत्र लालाराम जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर
4. रामेश्वर पुत्र लालाराम जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर
5. हनुमान पुत्र लालाराम जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर
6. कैलाश पुत्र रामपाल जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर
7. गिरराज पुत्र रामपाल जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर
8. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री विनय कुमार जैन वकील प्रार्थी

<u>पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान करवाने बाबत</u>

निर्णय दिनांक :— 17.02.2025

लगातार.....................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला-(जयपुर)

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 10, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 125/2, 17, 97, 98 कुल किता 20 कुल रकबा 9.2182 है0 भूमि वाके ग्राम नीमेडा पटवार हल्का नीमेडा भू. अभि. नि. क्षेत्र नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू में स्थित हैं। जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार हैं। उक्त आराजी प्रार्थी की आराजी है, जिस पर प्रार्थी शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी की आराजी है जिसका अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वे प्रार्थी की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण संख्याबल एवं भुजबल में अधिक हैं। जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जिसका उद्देश्य डरा धमकाकर जमीनें ऐंठना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतू अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को लेकर प्रार्थी से आये दिन लडाई झगडा कर प्रार्थी को हेरान परेशान करते रहते है। कुछ समय पूर्व जब प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की देखभाल करने विवादग्रस्त आराजी पर आया तो अप्रार्थीगण एवं कुछ अन्य व्यक्ति एक राय होकर प्रार्थी की आराजी पर आये एवं प्रार्थी के कब्जें की आराजी पर अतिक्रमण करने की धमकी दी। जिस पर प्रार्थी ने उप तहसीलदार नीमेडा के यहां आवेदन कर उक्त भूमि का दिनांक 24.06.2024 को सीमा ज्ञान भी करवा लिया, परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण ने विवाद करना नही छोडा। इसलिए प्रार्थी की भूमि की रक्षार्थ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। जब कि प्रार्थी की आराजी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु वह प्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है एवं वह अपनी आराजी की सुरक्षा करना चाहता है। उक्त आराजी की पत्थरगढी होने से प्रार्थी की उक्त भूमि सुरक्षित हो जावेगी एवं अतिक्रमण होने का डर नही होगा। उक्त प्रकरण के निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं हुए इसलिए अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है।

लगातार.......................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- (जयपुर)

(3)

मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 वाके ग्राम नीमेडा के खाता सं0 352 के आराजी ख0नं0 10, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 125/2, 17, 97, 98 में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकन किया है कि उक्त आराजी का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2024 को करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। पूर्व मे उक्त विवादग्रस्त आराजी का दिनांक 09.06.2023 को सीमाज्ञान हो चुका है।

उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 352 के ख0नं0 10, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 125/2, 17, 97, 98 भूमि, वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर